हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]
15.26 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई न हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----28.1.26-----को पेश हो	
28/1/26 पत्रावली पेश है। वकील पक्षकार उपस्थित। मिसल वास्ते बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज रिकॉर्ड का गहन अध्ययन अवलोकन पर हम पाते है कि वाद वापी स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वाद वापी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फाईल किया ~~जाकर~~ है जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।	